न्यायालय सहायक कलक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी– श्रीमती पार्थवी, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या : 16 / 18

GCMS id : 2018 / 00025

भंवरलाल आत्मज जीवाराम उर्फ जीवलाल, जाति लश्करी, निवासी ग्राम पीपलहेडी हाल निवासी ग्राम सोगरिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– (वादी)

बनाम

1. जुबरीलाल पुत्र जीवाराम उर्फ जीवलाल (मृतक) जरिये कायम मुकाम –
   1/1 राजेन्द्र आत्मज स्व. जुबरीलाल (मृतक) जरिये कायम मुकाम –
      1/1/1 लाडबाई बेवा स्व. राजेन्द्र
      1/1/2 निशा पुत्री स्व. राजेन्द्र
      1/1/3 दीपक पुत्र स्व. राजेन्द्र
   1/2 चन्द्रप्रकाश आत्मज स्व. जुबरीलाल (मृतक) जरिये कायम मुकाम –
      1/2/1 संजू बाई पत्नी स्व. चन्द्रप्रकाश
      1/2/2 पूनम पुत्री स्व. चन्द्रप्रकाश
      1/2/3 टीना पुत्री स्व. चन्द्रप्रकाश
      1/2/4 आकांक्षी पुत्री स्व. चन्द्रप्रकाश
      1/2/5 प्रिन्स पुत्र स्व. चन्द्रप्रकाश
      जाति लश्करी, निवासीगण सोगरिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
   1/4 सीता बाई पत्नी लालचन्द पुत्री स्व. जुबरीलाल, जाति लश्करी, निवासिनी मोतीकुआं, तहसील दीगोद, जिला कोटा
   1/5 सन्ती बाई पत्नी पवन पुत्री स्व. जुबरीलाल, जाति लश्करी, निवासिनी पापाजी की गली, डी.सी.एम., कोटा
2. गोपीलाल आत्मज नन्दकिशोर
3. अर्जुन कुमार आत्मज नन्दकिशोर
4. मोहनलाल पुत्र नन्दकिशोर
   जाति लश्करी, निवासीगण ग्राम पीपलहेडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
5. नन्दकिशोर आत्मज नानजीराम
6. बाबा मोतीराज जी मन्दिर, पीपलहेडी पुजारी अर्जुन पुत्र नन्दकिशोर
7. भंवरलाल आत्मज नन्दकिशोर
   जाति लश्करी, निवासीगण ग्राम पीपलहेडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
8. अंकित पुत्र मोहनलाल
9. शुभम पुत्र मोहनलाल
10. कुलदीप पुत्र गोपीलाल
11. देवेन्द्र पुत्र गोपीलाल
12. प्रिन्स पुत्र अर्जुन नाबालिग जरिये वली पिता अर्जुन
    जाति लश्करी, निवासीगण ग्राम पीपलहेडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– (प्रतिवादीगण)

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188
बाबत विभाजन आराजी व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति : श्री नरेन्द्र व्यास, वादी अभिभाषक
श्री घनश्याम नागर, प्रतिवादी अभिभाषक
श्री दीपक शर्मा, प्रतिवादी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 23.12.2022

1. वादी की ओर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 91, 188 के अन्तर्गत एक वाद बाबत विभाजन आराजी व स्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया है।
2. वादी द्वारा अपना वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि :–
   - ग्राम पीपलहेडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 43, 52, 53, 54,

55, 59, 60, 93, 94, 95, 96, 97, 172, 181, 182, 195 कुल किता 16 रकबा 15.05 वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी में पक्षकारान का हिस्सा दर्ज रिकार्ड है।

- उपरोक्त आराजी का लगान आदि जमा करने के बारे में पक्षकारान में आये दिन लडाई झगडा होता रहता है।
- इस सम्बन्ध में प्रतिवादीगण से बंटवारा कराने की कहने पर उन्होने इन्कार कर दिया। अतः निवेदन है कि विवादित आराजी का पक्षकारान के हिस्से अनुसार विभाजन किया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान करें।

3. प्रतिवादी क्रम-1 ने अपने जवाब दावा में मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन किया जाकर पक्षकारान के पृथक पृथक खाते दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया।
प्रतिवादी क्रम-7 ने दावे के कथनों को अस्वीकार करते हुये निवेदन किया कि वादी ने ग्राम सोगरिया, ग्राम काला तालाव व ग्राम चन्द्रेशल की शामलाती आराजी वर्णित किये बिना यह दावा पेश किया है जो खारिज किया जावे।

4. दौराने वाद, पक्षकारान की ओर से न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश कर निवेदन किया गया कि –
   - उक्त वाद में लोक अदालत की भावना से वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य आपसी राजीनामा हो गया है।
   - इस राजीनामा के अनुसार खसरा नम्बर 55 के दक्षिण पश्चिम दिशा की 0.80 हैक्टर आराजी वादी के खाते में रहेगी तथा
   - खसरा नम्बर 55 के दक्षिण पूर्व दिशा की 0.80 हैक्टर आराजी प्रतिवादी क्रम-1 (स्व. जुवरीलाल) के वारिसान के खाते दर्ज रहेगी।
   - खसरा नम्बर 54 से लगवा, खसरा नम्बर 55 का शेष 1.45 हैक्टर उत्तरी हिस्सा तथा शेष खसरा नम्बर 43, 52, 53, 54, 59, 80, 60, 93, 94, 95, 96, 97, 172, 181, 182 व 195 प्रतिवादी क्रम 3 लगायत 12 के हिस्से में शामलाती रूप से रहेगी।
   - उपरोक्त राजीनामा के अनुसार वादी व प्रतिवादी क्रम-1 के वारिसान तथा अन्य प्रतिवादीगण मौके पर काबिज काश्त हो गये है तथा राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में उपरोक्तानुसार दुरूस्ती किया जाना आवश्यक हो गया है।
   - अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि राजीनामा अनुसार वाद डिक्री किया जावे।

5. हमने वादी अभिभाषक की एकपक्षीय बहस अन्तिम के कथनों पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर अद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया जिससे हम इस निष्कर्ष पहुंचे है कि वादी द्वारा विवादित आराजी के विभाजन का दावा पेश किया गया तथा दौराने वाद लोक अदालत की भावना से राजीनामा अनुसार प्रकरण का निस्तारण चाहा गया है। अतः पक्षकारान की ओर से पेश राजीनामा स्वीकार किया जाकर ग्राम पीपलहेडी, पटवार हल्का अरल्या जागीर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 55 के दक्षिण पश्चिम दिशा की 0.80 हैक्टर आराजी का वादी को तथा खसरा नम्बर 55 के ही दक्षिण पूर्व दिशा की 0.80 हैक्टर आराजी का प्रतिवादी क्रम-1 के वारिसान को खातेदार घोषित किया जाकर तन्हा खाते दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। खसरा नम्बर 54 से लगवा, खसरा नम्बर 55 के शेष 1.45 हैक्टर उत्तरी हिस्सा व शेष अन्य खसरा नम्बर 43, 52, 53, 54, 59, 80, 60, 93, 94, 95, 96, 97, 172, 181, 182 व 195 प्रतिवादी क्रम 3 लगायत 12 के हिस्से में शामलाती रूप से दर्ज रहेगी। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को राजीनामा अनुसार वादी व प्रतिवादी क्रम-1 के वारिसान के तन्हा खाते 0.80, 0.80 हैक्टर तथा शेष आराजी प्रतिवादी क्रम 3 लगायत 12 के तन्हा खाते दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

6. निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया और टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 23.12.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्रीमती पार्वती)
सहायक कलक्टर,
(मुख्यालय), कोटा

सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा

Raviwama Bhanwarlal Zakelal

गूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती पार्थवी R.A.S.

बउनवान :–

भंवरलाल आत्मज जीवाराम उर्फ जीवलाल, जाति लश्करी, निवासी ग्राम पीपलहेडी हाल निवासी ग्राम सोगरिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– (वादी)

बनाम

1. जुबरीलाल पुत्र जीवाराम उर्फ जीवलाल (मृतक) जरिये कायम मुकाम –
   1/1 राजेन्द्र आत्मज स्व. जुबरीलाल (मृतक) जरिये कायम मुकाम –
   1/1/1 लाडबाई बेवा स्व. राजेन्द्र
   1/1/2 निशा पुत्री स्व. राजेन्द्र
   1/1/3 दीपक पुत्र स्व. राजेन्द्र
   1/2 चन्द्रप्रकाश आत्मज स्व. जुबरीलाल (मृतक) जरिये कायम मुकाम –
   1/2/1 संजू बाई पत्नी स्व. चन्द्रप्रकाश
   1/2/2–4 पूनम, टीना, आकाक्षी पुत्रियां स्व. चन्द्रप्रकाश
   1/2/5 प्रिन्स पुत्र स्व. चन्द्रप्रकाश
   जाति लश्करी, निवासीगण सोगरिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
   1/4 सीता बाई पत्नी लालचन्द पुत्री स्व. जुबरीलाल, जाति लश्करी, निवासिनी मोतीकुआं, तहसील दीगोद, जिला कोटा
   1/5 सन्ती बाई पत्नी पवन पुत्री स्व. जुबरीलाल, जाति लश्करी, निवासिनी पापाजी की गली, डी.सी.एम., कोटा

2–4. गोपीलाल, अर्जुन कुमार, मोहनलाल आत्मज नन्दकिशोर, जाति लश्करी, निवासीगण ग्राम पीपलहेडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

5. नन्दकिशोर आत्मज नानजीराम

6. बाबा मोतीराज जी मन्दिर, पीपलहेडी पुजारी अर्जुन पुत्र नन्दकिशोर

7. भंवरलाल आत्मज नन्दकिशोर
   जाति लश्करी, निवासीगण ग्राम पीपलहेडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

8–9 अंकित, शुभम पुत्रान मोहनलाल

10–11 कुलदीप, देवेन्द्र पुत्र गोपीलाल

12. प्रिन्स पुत्र अर्जुन नाबालिग जरिये वली पिता अर्जुन
    जाति लश्करी, निवासीगण ग्राम पीपलहेडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– (प्रतिवादीगण)

दावा बाबत : 53, 188 RTA
मुकदमा नम्बर : 16 / 18
निर्णय दिनांक : 23-12-2022

GCMS id : 2018 / 00025

न्यायालय हाजा में वादी अभिभाषक श्री नरेन्द्र व्यास तथा प्रतिवादी अभिभाषक श्री घनश्याम नागर व श्री दीपक शर्मा तथा पक्षकारान की उपस्थिति में (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्रीमती पार्थवी आर.ए.एस. के समक्ष राजीनामा अनुसार अन्तिम निपटारे के लिये आज तारीख 23–12–2022 को पेश होने पर, पक्षकारान की ओर से पेश राजीनामा स्वीकार किया जाकर ग्राम पीपलहेडी, पटवार हल्का अरल्या जागीर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 55 के दक्षिण पश्चिम दिशा की 0.80 हैक्टर आराजी का वादी को तथा खसरा नम्बर 55 के ही दक्षिण पूर्व दिशा की 0.80 हैक्टर आराजी का प्रतिवादी क्रम–1 के वारिसान को खातेदार घोषित किया जाकर तन्हा खाते दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। खसरा नम्बर 54 से लगवा, खसरा नम्बर 55 के शेष 1.45 हैक्टर उत्तरी हिस्सा व शेष अन्य खसरा नम्बर 43, 52, 53, 54 59, 80, 60, 93, 94, 95, 96, 97, 172, 181, 182 व 195 प्रतिवादी क्रम 3 लगायत 12 के हिस्से में शामलाती रूप से दर्ज रहेगी। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को राजीनामा अनुसार वादी व प्रतिवादी क्रम–1 के वारिसान के तन्हा खाते 0.80, 0.80 हैक्टर तथा शेष आराजी प्रतिवादी क्रम 3 लगायत 12 के तन्हा खाते दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

– खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री आज तारीख 23 दिसम्बर, 2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(श्रीमती पार्थवी)
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा

9/1/2

वाद के खर्चे

वादी		रुपया	प्रति[illegible]वादी		रुपया
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प		1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शों के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	.... रुपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
	जोड			जोड	

सहायक कलक्टर कोटा